HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 44/2026

Ashok S/o Hakla, Aged About 18 Years, R/o Khunjibijiya Pa Sallopat, Dist. Banswara (Presently Lodged In Jail Banswara)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Shri Santu S/o Khatu Garasiya, R/o Khuti Bijiya, P.S. Sallopat, Dist. Banswara, Raj

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Raghuveer Singh Bhati
For Respondent(s) : Mr. Surendra Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

13/03/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,** पुलिस थाना **सल्लोपाट,** जिला **बांसवाड़ा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **23/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **137(2), 129(4), 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 5(एल)(एन)/6, 5(जे)(II) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान हो चुका है। पीड़िता ने अपने 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों में स्पष्ट रूप से स्वयं का प्रार्थी–अभियुक्त के साथ प्यार करना और सहमति से शारीरिक संबंध बनाना व पति मानकर चार महीने से साथ रहना बताया है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता सोलह वर्ष नौ माह की है।

ऐसी अवस्था में गंभीर प्रकृति का मामला बताते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। पीड़िता द्वारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में स्वयं का प्रार्थी–अभियुक्त से प्यार करना, सहमति से शारीरिक संबंध बनाना व उसके साथ रहना बताया है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **अशोक पुत्र हकला** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

18-divyashri/heena-